e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

iqfyl eq[;ky;] x`g ¼iqfyl½ foHkkx] e/;izns'k 'kklu ds varxZr lgk;d mi fujh{kd ¼vuqlfpoh;½ {fuEu Js.kh fyfid} ,oa lwcsnkj ¼vuqlfpoh;½ {'kh?kzys[kd¼LVsuksxzkQj½} ds fjDr inksa ,oa e/;izns'k gksexkMZ] x`g foHkkx] e/;izns'k 'kklu ds varxZr fuEu Js.kh fyfid ¼lgk;d xzsM&3½ ,oa 'kh?kzys[kd ¼LVsuks½ xzsM&3 ds fjDr inksa gsrq la;qDr p;u ijh{kk&2014

ijh{kk lapkyu ,oa HkrhZ fu;e&iqfLrdk

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		30.09.2014
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		29.10.2014
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		30.10.2014
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि		03.11.2014
परीक्षा दिनांक व दिन		30.11.2014 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती के पद हेतु	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए – रूपया 500 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए – रूपया 250
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/– देय होगा।		

le; lkj.kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
30.11.2014 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. **ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।**
5. **परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।**
6. मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी0ए0सी0) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर <u>राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा</u> अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी।

e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

iqfyl eq[;ky;] xg ¼iqfyl½ foHkkx] e/;izns'k 'kklu ds varxZr lgk;d mi fujh{kd ¼vuqlfpoh;½ {fuEu Js.kh fyfid} ,oa lwcsnkj ¼vuqlfpoh;½ {'kh?kzys[kd¼LVsuksxzkQj½} ds fjDr inks
,oa
e/;izns'k gksexkMZ] xg foHkkx] e/;izns'k 'kklu ds varxZr fuEu Js.kh fyfid ¼lgk;d xzsM&3½ ,oa 'kh?kzys[kd ¼LVsuks½ xzsM&3 ds fjDr inks gsrq l;qDr p;u ijh{kk&2014

fo"k;&lwph

l- Øa-	fooj.k	i"B Øa-
1.	v/;k;&1 & पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश भाासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय){निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार(अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त पदो के लिए विभागीय नियम	3–14
2.	v/;k;&2 – मध्यप्रदेश होमगार्ड, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–3) एवं शीघ्रलेखक (स्टेनो) ग्रेड–3 के रिक्त पदो के लिए विभागीय नियम	15–25
3.	v/;k;&3 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	26–33
4.	v/;k;&4 – विस्तृत पाठ्यक्रम	34
5.	**अध्याय–5** – आवश्यक प्रमाण–पत्रों के प्रारूप	35–40

v/;k; & 1

iqfyl eq[;ky;] xg ¼iqfyl½ foHkkx] e/;izns'k 'kklu ds varxr lgk;d mi fujh{kd ¼vuqlfpoh;½ {fuEu J.kh fyfid} ,oa lwcnkj ¼vuqlfpoh;½ {'kh?kys[kd¼LVsuksxzkQj½} ds fjDr inks ij p;u gsrq foHkkxh; fu;e

1- lkekU; %&

1-1 पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. पुमु/चयन/स–2/343/2014, 20.05. द्वारा सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक के सीधी भर्ती हेतु एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} सीधी भर्ती रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरूश/महिला उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। inks dh la[;k esa vko';drkuqlkj deh ;k of) dh tk ldrh gSA

1-2 इन नियमों का नाम ''मध्य प्रदेश पुलिस : सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} चयन नियम'' होगा।

1-3 ये नियम मध्यप्रदेश पुलिस राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगें।

1-2 ifjHkk"kk;sa %&

¼d½''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

¼[k½''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

¼x½''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

¼?k½''अन्य पिछडा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

¼p½''भर्ती का वर्ष'' से अभिप्रेत है उस वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

¼N½''भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है'' ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक'' (लडाकू या गैर लडाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और–

(1) जिसे स्वंय के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिर्जव में अंतरित किया गया है, या

(2) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पडी हो,

(3) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वंय के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो। विस्तृत विवरण कण्डिका में दर्शाया गया है।

¼t½''मण्डल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।

¼>½''विभाग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

1-3 inks ls lcaf/kr fooj.k%&

1-lgk;d mi fujh{kd ¼vuqlfpoh;½ {fuEu J.kh fyfid} ds lh/kh Hkrh ds inks dk fooj.k																	
		vukjf{kr			vkjf{kr in									;kx			eg;kx
l- Ø-	inuke				vttk			vtk			vfio						
		vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	
1-	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} :: पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा	47	24	08	16	08	03	11	06	02	08	04	01	82	42	14	138
2-	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} :: मैदानी ईकाईयां	06	03	01	45	23	08	30	15	05	00	00	00	81	41	14	136
3-	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} : विशेष शाखा	37	19	06	13	06	02	08	04	01	00	05	00	58	34	09	101
4-	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} : अपराध अनुसंधान विभाग	02	01	00	03	02	01	04	02	01	03	01	00	12	06	02	20
	;kx%	92	47	15	77	39	14	53	27	09	11	10	01	233	123	39	395

2- lwcsnkj ¼vuqlfpoh;½ {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} ds lh/kh Hkrh ds inks dk fooj.k																	
		vukjf{kr			vkjf{kr in									;kx			eg;kx
l- Ø-	inuke				vttk			vtk			vfio						
		vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	vkiu	efgyk	Hk0i0l0 vkiu	
1-	सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} :: पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा	07	03	01	04	02	01	02	02	01	01	01	00	14	08	03	25
2-	सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} :: विशेष शाखा	50	25	08	22	11	04	09	05	02	07	04	01	88	45	15	148
	;kx%	57	28	09	26	13	05	11	07	03	08	05	01	102	53	18	173

1.4 पदों का वेतनमान :–

स.क्रं.	पद नाम	वेतनमान
1.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक	5200–20200+ग्रेड पे 1900/–
2.	सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)}	9300–34800+ग्रेड पे 3600/–

नोटः– उपरोक्त वेतनमान या शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान देय होगा।

1.5 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :–

क्र	पदनाम	शैक्षणिक अर्हताऐं
1	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक}	(1) हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा, (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा, तथा, (3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है :– 1- Diploma from all Universities recognized by UGC. 2- Diploma from all Open Universities recognized by UGC.

		3- Diploma level examination from DOEACC. 4- Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College 5- One Year Certificate in " Computar Operator and Programming Assistant (COPA)" From Government I.T.I
2	सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)}	(1) हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा, (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन (स्टेनोटायपिस्ट/आशुलिपिक के पद हेतु 80 शब्द प्रति मिनट तथा शीघ्रलेखक/स्टेनोग्राफर के पद हेतु 100 शब्द प्रति मिनट) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा, तथा, (3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है :– 1- Diploma from all Universities recognized by UGC. 2- Diploma from all Open Universities recognized by UGC. 3- Diploma level examination from DOEACC. 4- Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College 5- One Year Certificate in " Computar Operator and Programming Assistant (COPA)" From Government I.T.I

नोट– (1) यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) **{**निम्न श्रेणी लिपिक**}** के पद हेतु उपरोक्त अर्हता क्रमांक (2) हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखक तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से हिन्दी मुद्रलेखन (Hindi Typing) परीक्षा के समकक्ष निम्न लिखित परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है:–

(अ) मध्यप्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी एव 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अग्रेजी मुद्रलेखन (Typing) परीक्षा में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय वृत्तिक दस्तकार प्रशिक्षण परिषद् (National Council For Vocational Trades) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (संदर्भ : मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी/9–3/83/3/1 दिनांक 22 फरवरी 1977)

(ब) मध्य प्रदेश जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा संचालित मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल के अंतर्गत आने वाले सभी पालीटेकनीक संस्थाओं से 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोजित हिन्दी/अंग्रजी मुद्रलेखन (Hindi/Englpsh Typing) परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप जारी किये जाना वाला प्रमाण पत्र (संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी–3–60/92/3/1 दिनांक 20 अप्रैल 1993)

(स) भारत सरकार गृह मंत्रालय राज्य भाषा विभाग की हिन्दी की शिक्षण योजना की हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप जारी किये जाना वाला प्रमाण पत्र (संदर्भ : मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ/3–4/2010/3–एक दिनांक 05 फरवरी 2010)

नोट– (2):– इसी प्रकार सूबेदार ''अ'' **{**(शीघ्रलेखक) स्टेनोग्राफर**}** के पद हेतु उपरोक्त अर्हता क्रमांक (2) हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ''मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद'' द्वारा संचालित 100 शब्द प्रति मिनट की गति की शीघ्रलेखन (Shorthand-Stenpgaphy) परीक्षा के समकक्ष निम्न लिखित परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है:–

(अ) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा व्यावसायिक पाठयक्रम में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोजित शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी) परीक्षा (संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी–9–1/96/3 एक दिनांक 22 जनवरी 1996)

(ब) मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा संचालित मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल के अंतर्गत आने वाले सभी पालीटेकनीक संस्थाओं से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोजित शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी)

परीक्षा वाले कमर्शियल प्रेक्टिस/सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस का डिप्लोमा (संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 396/442/1(3)/73/एक दिनांक 21 मई 1973)

(स) मध्यप्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से 100 शब्द प्रति मिनट की शीघ्रेखन (स्टेनोग्राफी) परीक्षा में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय वृत्तिक प्रशिक्षण परिषद (National Council For Vocational Trades) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 30/2925/1(3)/76 दिनांक 20 जनवरी 1977)

1. vkond d ikl U;ure vgZrk;s vkonu Hkjus dh vafre frfFk rd gksuk pkfg,A blds ckn fdlh Hkh fnukad dks vgZrk,a vftZr djus okys vkond foKkfir inks ds fy, fopkfjr gksus dh ik=rk ugh j[ksxsA

2. सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में पदों का विकल्प उपलब्ध होगा।

नोट– (2):– उम्मीदवारों को सचेत किया जाता है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी अर्हताओं के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री का परीक्षण आदि भली भांति कर लें। जिन उम्मीदवारों के पास उपरोक्त अर्हताएं नही है वे इस चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र नही है। ऐसे उम्मीदवारों को सचेत किया जाता है कि वे अर्हताओं के सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता एवं एवं सावधानी बरतते हुएं आवेदन करें।

नोट– (3):– आवेदक के पास समस्त निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नही रखेंगें।

नोट– (4):– सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना है। ऑनलाईन आवेदन पत्रो में पदो का विकल्प उपलब्ध होगा।

नोट– (5):– **जो उम्मीदवार सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} दोनो पदो हेतु निर्धारित अर्हता रखते है, वे दोनो पदों का विकल्प दे सकते है। ऐसे उम्मीदवारों के इन दो पदों के लिये प्रथम अथवा द्वितीय प्राथमिकता अंकित करनी होगी। ऐसे उम्मीदवारों को इन दो पदों के लिये एक ही परीक्षा देनी होगी तथा मेरिट एवं अंकित की गई प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन एक पद के लिये किया जावेगा।**

1.6. सामान्य :–

1.6.1 संवर्गो का वर्गीकरण :

(क) म.प्र. पुलिस में सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक, के निम्न लिखित संवर्ग है:–

(1) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा,

(2) विशेष शाखा तथा विशेष शाखा की मैदानी ईकाईयां

(3) अपराध अनुसंधान विभाग एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो,

(4) मैदानी ईकाइयां जिनमें समस्त जिले, वि.स.बल की समस्त वाहिनियां, पुलिस दूरसंचार की मैदानी ईकाइयां, प्रशिक्षण संस्थान, आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर, जे.एन.पी.ए. सागर, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर,

(ख) म.प्र. पुलिस में सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), के निम्न लिखित संवर्ग है:–

(1) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यरों, मैदानी ईकाइयां जिनमें समस्त जिले, वि.स.बल की समस्त वाहिनियां, पुलिस दूरसंचार की मैदानी ईकाइयां, प्रशिक्षण संस्थान, आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर, जे.एन.पी.ए. सागर, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर,

(2) विशेष शाखा तथा विशेष शाखा की मैदानी ईकाइयां

1.6.2 नियुक्ति के लिये सक्षम अधिकारी : सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक }एवं सूबेदार (अनुसचिवीय){ शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} के नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक, सेनानी अथवा सहायक पुलिस महानिरीक्षक अथवा उनके समकक्ष अधिकारी होगे।

1.6.3 चयन परीक्षा के लिये पुलिस मुख्यालय की शाखाओं तथा मैदानी ईकाईयों के रिक्त पदों की जानकारी चयन शाखा द्वारा मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल को उपलब्ध कराई जावेगी।

1.6.4 चयन परीक्षा के समन्वय एवं उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों के परीक्षण के लिये पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक द्वारा एक चयन समिति गठित की जावेगी। अध्यक्ष

समेत सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य होगा।

1.6.5 सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} की भरती हेतु चयन परीक्षा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा उनके नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप आयोजित की जावेगी।

1.6.6 मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा चयन परीक्षा के उपरांत लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूचियां पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जावेंगी।

1.6.7 पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों का परीक्षण कर योग्य उम्मीवारों को पृथक किया जावेगा। योग्य उम्मीदवारों की सूची की अनुमोदन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जावेगा।

1.7 सेवा में नियुक्ति :

इस नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां केवल सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत की की जावेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति इस नियम के विनिर्दिष्ट नियुक्ति के तरीकों द्वारा चयन किये जाने के पश्चात ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

1.8 सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} पद हेतु नियुक्ति का तरीका :—

1.8.1 इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थातः—

(क) प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।
(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानातंरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैसियत में धारण करते हों।
(ग) म.प्र. शासन तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप अनुकम्पा नियुक्ति द्वारा

1.8.2 शासन आदेशानुसार सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक, के पदों पर 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों (प्र.आर.''एम''/आर.''एम'') के लिये आरक्षित किये गये है, नियुक्ति के समय सीधी भरती के पदों की गणना हेतु तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

1.8.3 इन नियमों के उपबंधो के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भर जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सेवा की एकरूपता एवं दक्षता बनाये जाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी।

18.4 उपनियम 1.8.1 के होते हुए भी यदि सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अभिमत में यह आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उपरोक्त उपनियम 1.8.1 में दर्शाए गए तरीके से भिन्न तरीके जैसा कि आदेशित किया गया हो, भरती के लिये अपनाये जा सकते है।

1.9 सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} पद हेतु नियुक्ति का तरीका :—

1.9.1 इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थातः—

(क) प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।
(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानातंरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैसियत में धारण करते हों।

1.9.2 इन नियमों के उपबंधो के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भर जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सेवा की एकरूपता एवं दक्षता बनाये जाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी।

19.3 उपनियम 1.9.1 के होते हुए भी यदि सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अभिमत में यह आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उपरोक्त उपनियम 1.9.1 में दर्शाए गए तरीके से भिन्न तरीके जैसा कि आदेशित किया गया हो, भरती के लिये अपनाये जा सकते है।

1.10 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती:–

1.10.1 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती के लिये मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा विज्ञापन जारी किया जावेगा। मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा स्वयं अथवा एम.पी. ऑन–लाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

1.10.2 भरती के लिये उम्मीदवारों के चयन के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे समयान्तर पर होगी जैसा कि पुलिस मुख्यालय समय–समय पर निर्धारित करें।

1.10.3 सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यार्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षरण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग के लिये समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के सदस्य है। सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से महिलाओं के लियें, उतने पद आरक्षित रखें जावेंगे जितने राज्य सरकार समय–समय पर पुलिस विभाग के लिये आदेशित करें। वर्तमान नियमों के अनुसार कुल विज्ञापित पदों के 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लिये , 16 प्रतिशत अनुसूतिच जाति के लिये 14 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिको के लिये 10 प्रतिशत पदों का कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण होगा।

उदाहरण:– उदाहरण के लिये यदि किसी इकाई में 100 पद रिक्त विज्ञापित होते है और रोस्टर के अनुसार अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिये 14 प्रतिशत पद आरक्षित है तो क्रमशः 16, 20 और 14 कुल 50 पद इन वर्गो के लिये आरक्षित होगें और शेष 50 पद खुली प्रतियोमिता के होंगे।

अब शासन के आदेशानुसार महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण है, इसका आशय यह है कि अनुसूचित जाति के 16 पदों में से 30 प्रतिशत यानि कि 5 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 20 में से 6 पद और अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये 14 में से 4 पद आरक्षित होंगे और इस प्रकार महिलाओं के लिये शेष 15 पद सामान्य एवं खुली प्रतियोगिता के वर्ग में चिन्हित होंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी जाति वर्ग में योग्य महिला उपलब्ध नहीं है तो उसी जाति वर्ग के योग्य पुरूष के द्वारा वह रिक्ति पूर्ति की जावेगी।

शासन के आदेशानुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण के तहत आरक्षित है। इनकी गणना भी महिलाओं की भांति जाति वर्ग वार पृथक पृथक की जावेगी।

यहां यह ध्यान रखना होगा कि सामान्य/खुली प्रतियोगिता वर्ग के जो रिक्त स्थान है उन पर मेरिट के आधार पर किसी भी जाति वर्ग कका उम्मीदवार स्थान पाने का हक रखता है और यदि इन पदों पर मैरिट के आधार पर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछडा वर्ग का उम्मीदवार चयनित हो जाता है तो उसकी गणना उसके आरक्षित वर्ग में नही की जावेगी।

1.10.4 उपरोक्तानुसार आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये ऐसे उम्मीदवार जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य है, की उसी क्रम में ही नियुक्ति पर विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में प्रकट हुए हों भले ही अन्य उम्मीदवारों से उनकी तुलनात्मक स्थिति भिन्न ही क्यों न हो।

1.10.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जिन्हें कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने का ध्यान रखते हुए नियुक्ति के योग्य घोषित किया है, की ही नियुक्ति की जा सकेगी।

1.11 सीधी भरती की पात्रता की शर्ते:

1.11.1 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहियें।

टिप्पणी:–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही

वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में मेवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बज जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

(i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे है।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

(iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

1.11.2 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा **उनकी आयु सीमा विज्ञापन के वर्ष की 01 जनवरी 2014 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए।**

1.12 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमाः–

मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2(अ)–244–95–ब(4) दिनांक 14 अगस्त 1995 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2014 को 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। इस अधिसूचना के साथ साथ मध्यप्रदेश शासन : सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी–3–2–97–3 एक दिनांक 7 फरवरी 1997, ज्ञाप क्रमांक सी–3–12/2010/1/3 दिनांक 4 जून 2010, ज्ञाप क्रमांक सी–3–10/2012/3/एक दिनांक 30 अगस्त 2012, ज्ञाप क्रमांक सी–3–11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

l-Ø-	vkoind	J.kh	vf/kdre vk;q lhek
1.	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	28 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	33 वर्ष
3.	पुरूष	सभी वर्गों के भाासकीय/निगम/ मण्डल/ स्व ाासी संस्था के कर्मचारी/नगर सैनिक	36 वर्ष
4.	महिला	सामान्य /अनारक्षित वर्ग	38 वर्ष
5.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	43 वर्ष
6.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	43 वर्ष
7.	महिला	सभी वर्गों की भाासकीय/निगम/ मण्डल/ स्व ाासी संस्था के कर्मचारी / नगर सैनिक	45 वर्ष
8.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष

1.13 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ikjRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwV %&

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(घ) बिन्दु 1.13 के (क) से (ग) तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले ,d आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.13 के (क) से (ग) तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली, छूट, बिन्दु 1.12 की तालिका में अंकित 1 से 8 तक मिलने वाली छूटों के अतिरिक्त होगी।

1-14 e/;in'k d LFkkbZ fuoklh vkosndk dh vk;q lhek d lca/k e vU; fooj.k %&

¼d½ e/;in'k 'kklu xg iqfyl foHkkx d Kki Øekd ,Q&2&¼v½ 541@92@c ¼4½ nks] fnukd 04-04-1995 d vuqlkj iqfyl foHkkx e fodykxk@fu%'kDr tuk dh Hkjrh l NwV inku dh xbZ gA vr% iqfyl foHkkx d ink dh p;u ijh{kk e fu%'kDr tuk vkonu ugh dj ldxA

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(ग) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(घ) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, ब र्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– ब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारि ों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्से न) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

   (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

   (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवका ा रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

¼p½ वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

¼N½ ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1-15 'kkjhfjd ;kX;rk %&

भरती के लिये निन्नानुसार शारीरिक अर्हताएं होना आवश्यक हैः–

1-15-1 ऊंचाई (सेन्टीमीटर में)

1. पुरूष 162
2. महिला 152

Åapkbl e; dkbl NiV ugh nh tkoxhA

1-15-2 अभ्यार्थी के शरीर में किसी भी प्रकार की अपंगता नही होना चाहियें।

1-15-3 अभ्यर्थी के शरीर में नाक–नी (Knocw Knee Flat Foot) फ्लेट फुट नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सीय तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये, अभ्यर्थी को आंख से सम्बन्धित कोई रोग नही होना चाहिये तथा आंख की तीव्रता बिना चश्में के 6/9 तथा दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहियें मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये। अभ्यर्थी को कोई गंभीर रोग नही होना चाहिये।

1-16 p;u dk vk/kkj %&

सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} के पद एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} पद हेतु

सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} पद पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। साक्षात्कार/प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नही किया जायेगा। लिखित परीक्षा में दो घंटे की समयावधि का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का तथा हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्नपत्र की योजना निम्नानुसार रहेगीः–

स.क्र.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान	25
2.	सामान्य हिन्दी	25
3.	प्रारंभिक गणित	10
4.	कम्प्यूटर ज्ञान	40
	योगः–	100

नोट : परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

1-17 ikoh.;@irh{kk lph%&

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांको तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दिए गए संवर्ग के प्राथमिकताक्रम विकल्प के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य तथा रिक्त पदों के 10% के बराबर प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

1-18 ikjfLid ojh;rk%&

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तथा रिक्त पदों के 10% के बराबर प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान हाने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1-19 lR;kiu@ijh{k.k d le; vko';d iek.k&i=k dk fooj.k%&

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा :–

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,
(2) शैक्षणिक योग्यता (10+2) के प्रमाण पत्र,
(3) व्यावसायिक अर्हता – कम्प्यूटर परीक्षा अथवा मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन के प्रमाण पत्र,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,
(4) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र,
(5) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
(6) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,
(7) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड,
(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
(9) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
(10) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,

1-20 nLrkost k@iek.k&i=k dk ijh{k.k o lR;kiu%&

लिखित परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची तथा पदों के 10% के बराबर प्रतीक्षा सूची के आधार पर पुलिस मुख्यालय की चयन समिति द्वारा चयन/नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नही किया जाना है। विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी की नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय पुलिस विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा, अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर पुलिस विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो ।

1.21 pfj= lR;kiu%&

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। यदि प्रदेश शासन के अन्तर्गत शासकीय सेवा हेत चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन हेतु मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा परिपत्र आदेश क्रमांक एफ 17–74/2002/सी–1 दिनांक 05.06.2013 द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है, सामान्य प्रकरणे में इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराशिक प्रकरणों में सलिप्त रहे है, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का निर्णय मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा कमिश्नर आफ पुलिस विरूद्व मेहर सिंह के प्रकरण में दिनांक 02.07.2013 को पारित निर्णय में प्रतिपादित किये गये सिद्वान का अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे है, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का विचारण मान. उच्च न्यायालय द्वारा निम्न लिखित प्रकरणोः–

(i) रिय याचिका क्रमांक 3875/2013 दिलीप कुमार समाधिया
(ii) रिय याचिका क्रमांक 3870/2013 अनिल रघुवंशी
(iii) रिय याचिका क्रमांक 5004/2013 बृज मोहन भदौरिया
(iv) रिय याचिका क्रमांक 5108/2013 दिलीप कुमार समाधिया

में दिनांक 07/10/2013 को पारित निर्णय के पालन में गठित की गई ''स्क्रीनिंग कमेटी'' द्वारा किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के आयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नही दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्त तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नही होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1-22 LokLF; ijh{k.k%&

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेंडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डो पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेंडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नही होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1-23 vF;fFkZrk@p;u dks lc/k esa fujgZrk,¡%&

(क) ऐसा अभ्यर्थी जिसनें पररूपण धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपण धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

(ग) ऐसा अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

(घ) कोई भी अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

(ड.) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(च) कोई भी अभ्यर्थी जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये, अयोग्य होगा।

(छ) यदि किसी अभ्यर्थी ने फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया हो, दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हा, अयोग्य होगा।

1-24 fu;fDr dh 'krsZ%

चयनित अभ्यर्थियों पर मध्यप्रदेश शासन तथा पुलिस विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन तथा मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभागों के नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1-25 ;k=k HkRrk dk Hkqxrku %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दस्तावेजो के परीक्षण के समय उपस्थित होने पर पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदे ा भाासन द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

1-26 U;k; {ks=@vf/kdkj %&

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

1-27 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त नियमों का पूर्व अनुमोदन म0प्र0 शासनः गृह विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–2 (अ) 101/2012/बी–4/दो दिनांक 18 सितम्बर 2012 द्वारा प्राप्त किया गया है।

1-28 सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} की सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में इसके पूर्व जारी सभी परिपत्र, राजपत्र आदेश तथा अन्य आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगे।

पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

v/;k; & 2

e/;izns'k gksexkMZ] uxj foHkkx] e/;izns'k 'kklu ds varxZr fuEu Js.kh fyfid ¼lgk;d xzsM&3½ ,oa 'kh?kzys[kd¼LVsuks½xzsM&3 ds fjDr inksa ij p;u gsrq foHkkxh; fu;e

2- lkekU; %&

2-1 होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश के पत्र क्रं. 1–13/450/स्था0(3)/2014, कैम्प भोपाल दिनांक 10–09–2014 द्वारा 'kh?kzys[kd¼LVsuks½xzsM&3 ds fuEu Js.kh fyfid(**सहायक ग्रेड–3) एवं** lh/kh Hkjrh gsrq सीधी भर्ती रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छूक पुरूष/महिला उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। inksa dh la[;k esa vko';drkuqlkj deh ;k of) dh tk ldrh gSA

2-2 इन नियमों का नाम ''मध्यप्रदेश नगर सेना तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भरती नियम'' होगा।

2-3 ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगें।

2-2 ifjHkk"kk;sa %&

¼d½''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

¼[k½''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

¼x½''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

¼?k½''अन्य पिछडा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

¼p½''भर्ती का वर्ष'' से अभिप्रेत है उस वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

¼N½''भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है'' ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक'' (लडाकू या गैर लडाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और–

(1) जिसे स्वंय के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिर्जव में अंतरित किया गया है, या

(2) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पडी हो,

(3) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वंय के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो। विस्तृत विवरण कण्डिका में दर्शाया गया है।

¼t½''मण्डल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।

¼>½''विभाग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश होमगार्ड विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

2-3 inksa ls lacaf/kr fooj.k%&

1- fuEu Js.kh fyfid ¼lgk;d xzsM&3½ ds lh/kh Hkjrh ds inksa dk fooj.k

l0Ø0	inuke	vukjf{kr in		vkjf{kr in								;ksx		egk;ksx
				vttk				vtk		vfio				
		vkiu	efgyk	vkiu	efgyk	Hkw0iw0l0		vkiu	efgyk	vkiu	efgyk			
						vkiu	efgyk					vkiu	efgyk	
1.	निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–3)	00	01	11	05	02	00	03	01	01	01	17	08	25
	;ksx%&	00	01	11	05	02	00	03	01	01	01	17	08	25

2- 'kh?ky[kd ¼LVuk½ xzM&3 ds lh/kh Hkrh ds inks dk fooj.k								
l0Ø0	inuke	vukjf{kr in		vkjf{kr in		;ksx		egk;ksx
				vttk				
		vkiu	efgyk	vkiu	efgyk	vkiu	efgyk	
1-	'kh?ky[kd ¼LVuk½ xzM&3	03	01	00	01	03	02	05
;ksx&		03	01	00	01	03	02	05

2.4 पदों का वेतनमान :–

स.क्रं.	पद नाम	वेतनमान
1.	निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–3)	5200–20200+ग्रेड पे 1900/–
2.	शीघ्रलेखक(स्टेनो)ग्रेड–3	5200–20200+ग्रेड पे 2800/–

नोटः– उपरोक्त वेतनमान या शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान देय होगा।

2.5 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :–

क	पदनाम	शैक्षणिक अर्हताऐं
1	निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–3)	(1) हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा, (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा, तथा, (3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है :– 1- Diploma from all Universities recognized by UGC. 2- Diploma from all Open Universities recognized by UGC. 3- Diploma level examination from DOEACC. 4- Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College 5- One Year Certificate in " Computar Operator and Programming Assistant (COPA)" From Government I.T.I
2	शीघ्रलेखक(स्टेनो)ग्रेड–3	(1) हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा, (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन (शीघ्रलेखक/स्टेनो के पद हेतु 100 शब्द प्रति मिनट) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा, तथा, (3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है :– 1- Diploma from all Universities recognized by UGC. 2- Diploma from all Open Universities recognized by UGC. 3- Diploma level examination from DOEACC. 4- Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College 5- One Year Certificate in " Computar Operator and Programming Assistant (COPA)" From Government I.T.I

नोट– (1) यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) के पद हेतु उपरोक्त अर्हता क्रमांक (2) हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखक तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से हिन्दी मुद्रलेखन (Hindi Typing) परीक्षा के समकक्ष निम्न लिखित परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है:–

(अ) मध्यप्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी एव 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अग्रेजी मुद्रलेखन (Typing) परीक्षा में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय वृत्तिक दस्तकार प्रशिक्षण परिषद् (National Council For Vocational Trades) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय

व्यावसायिक प्रमाण पत्र (संदर्भ : मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी/9–3/83/3/1 दिनांक 22 फरवरी 1977)

(ब) मध्य प्रदेश जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा संचालित मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल के अंतर्गत आने वाले सभी पालीटेकनीक संस्थाओं से 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोजित हिन्दी/अंग्रजी मुद्रलेखन (Hindi/Englpsh Typing) परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप जारी किये जाना वाला प्रमाण पत्र (संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी–3–60/92/3/1 दिनांक 20 अप्रैल 1993)

(स) भारत सरकार गृह मंत्रालय राज्य भाषा विभाग की हिन्दी की शिक्षण योजना की हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप जारी किये जाना वाला प्रमाण पत्र (संदर्भ : मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ/3–4/2010/3–एक दिनांक 05 फरवरी 2010)

नोट– (2):– इसी प्रकार शीघ्रलेखक (स्टेनो) ग्रेड–3 के पद हेतु उपरोक्त अर्हता क्रमांक (2) हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग "मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद" द्वारा संचालित 100 शब्द प्रति मिनट की गति की शीघ्रलेखन (Shorthand-Stenpgaphy) परीक्षा के समकक्ष निम्न लिखित परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है:–

(अ) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा व्यावसायिक पाठयक्रम में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोजित शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी) परीक्षा (संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी–9–1/96/3 एक दिनांक 22 जनवरी 1996)

(ब) मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा संचालित मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल के अंतर्गत आने वाले सभी पालीटेकनीक संस्थाओं से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोजित शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी) परीक्षा वाले कमर्शियल प्रेक्टिस/सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस का डिप्लोमा (संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 396/442/1(3)/73/एक दिनांक 21 मई 1973)

(स) मध्यप्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से 100 शब्द प्रति मिनट की शीघ्रेखन (स्टेनोग्राफी) परीक्षा में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय वृत्तिक प्रशिक्षण परिषद (National Council For Vocational Trades) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 30/2925/1(3)/76 दिनांक 20 जनवरी 1977)

1. vkosnd ds ikl U;wure vgZrk;sa vkosnu Hkjus dh vafre frfFk rd gksuk pkfg,A blds ckn fdlh Hkh fnukad dks vgZrk,a vftZr djus okys vkosnd foKkfir inks ds fy, fopkfjr gksus dh ik=rk ugh j[ksaxsA

2. शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में पदों का विकल्प उपलब्ध होगा।

नोट– (2):– उम्मीदवारों को सचेत किया जाता है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी अर्हताओं के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री का परीक्षण आदि भली भांति कर लें। जिन उम्मीदवारों के पास उपरोक्त अर्हताएं नही है वे इस चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र नही है। ऐसे उम्मीदवारों को सचेत किया जाता है कि वे अर्हताओं के सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता एवं एवं सावधानी बरतते हुएं आवेदन करें।

नोट– (3):– आवेदक के पास समस्त निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नही रखेंगें।

नोट– (4):– सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना है। ऑनलाईन आवेदन पत्रो में पदो का विकल्प उपलब्ध होगा।

नोट– (5):– जो उम्मीदवार सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 दोनो पदो हेतु निर्धारित अर्हता रखते है, वे दोनो पदों का विकल्प दे सकते है। ऐसे उम्मीदवारों के इन दो पदों के लिये प्रथम अथवा द्वितीय प्राथमिकता अंकित करनी होगी। ऐसे उम्मीदवारों को इन दो पदों के लिये एक ही परीक्षा देनी होगी तथा मेरिट एवं अंकित की गई प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन एक पद के लिये किया जावेगा।

2.6. सामान्य :–

2.6.1 संवर्गो का वर्गीकरण :

(क) म.प्र. नगर सेना में शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 के निम्न लिखित संवर्ग है:–

(1) होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर

(2) कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मंगेली, जबलपुर
(3) डिवीजनल कमाण्डेन्ट, नगर सेना, मध्यप्रदेश

(ख) म.प्र. नगर सेना में सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक), के निम्न लिखित संवर्ग हैः–

(1) होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय मध्यप्रदश जबलपुर
(2) कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मंगेली, जबलपुर
(3) डिवीजनल कमाण्डेन्ट, नगर सेना, मध्यप्रदेश
(4) डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, नगर सेना, मध्यप्रदेश

2.6.2 नियुक्ति के लिये सक्षम अधिकारी : शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) के नियुक्तिकर्ता अधिकारी डायरेक्टर जनरल, होमगार्ड, मध्यप्रदेश होंगे।

2.6.3 चयन परीक्षा के लिये होमगार्ड के रिक्त पदों की जानकारी स्थापना शाखा द्वारा मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल को उपलब्ध कराई जावेगी।

2.6.4 चयन परीक्षा के समन्वय एवं उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों के परीक्षण के लिये होमगार्ड मुख्यालय की स्थापना शाखा की अनुशंसा पर डायरेक्टर जनरल द्वारा एक चयन समिति गठित की जावेगी। अध्यक्ष समेत सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य होगा।

2.6.5 शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) की भरती हेतु चयन परीक्षा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा उनके नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप आयोजित की जावेगी।

2.6.6 मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा चयन परीक्षा के उपरांत लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूचियां होमगार्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराई जावेंगी।

2.6.7 डायरेक्टर जनरल द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों का परीक्षण कर योग्य उम्मीवारों को पृथक किया जावेगा। योग्य उम्मीदवारों की सूची की अनुमोदन डायरेक्टर जनरल द्वारा किया जावेगा।

2.7 सेवा में नियुक्ति :

इस नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां केवल सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत की की जावेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति इस नियम के विनिर्दिष्ट नियुक्ति के तरीकों द्वारा चयन किये जाने के पश्चात ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

2.8 सहायक ग्रेड–3 {निम्न श्रेणी लिपिक} पद हेतु नियुक्ति का तरीका :–

2.8.1 इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थातः–

(क) प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।
(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानातंरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैसियत में धारण करते हों।
(ग) म.प्र. शासन तथा होमगार्ड मुख्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप अनुकम्पा नियुक्ति द्वारा

2.8.2 शासन आदेशानुसार सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक, के पदों पर 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों (प्र.आर.''एम''/आर.''एम'') के लिये आरक्षित किये गये है, नियुक्ति के समय सीधी भरती के पदों की गणना हेतु तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

2.8.3 इन नियमों के उपबंधो के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भर जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सेवा की एकरूपता एवं दक्षता बनाये जाने के उद्‌देश्य से होमगार्ड मुख्यालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी।

2.8.4 उपनियम 2.8.1 के होते हुए भी यदि सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अभिमत में यह आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उपरोक्त उपनियम 2.8.1 में दर्शाए गए तरीके से भिन्न तरीके जैसा कि आदेशित किया गया हो, भरती के लिये अपनाये जा सकते है।

2.9 शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 पद हेतु नियुक्ति का तरीका :–

2.9.1 इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थातः–

(क) प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानातंरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैसियत में धारण करते हों।

2.9.2 इन नियमों के उपबंधो के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भर जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सेवा की एकरूपता एवं दक्षता बनाये जाने के उद्देश्य से होमगार्ड मुख्यालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी।

29.3 उपनियम 2.9.1 के होते हुए भी यदि सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अभिमत में यह आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उपरोक्त उपनियम 2.9.1 में दर्शाए गए तरीके से भिन्न तरीके जैसा कि आदेशित किया गया हो, भरती के लिये अपनाये जा सकते है।

2.10 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरतीः–

2.10.1 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती के लिये मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा विज्ञापन जारी किया जावेगा। मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा स्वयं अथवा एम.पी. ऑन–लाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

2.10.2 भरती के लिये उम्मीदवारों के चयन के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे समयान्तर पर होगी जैसा कि होमगार्ड मुख्यालय समय–समय पर निर्धारित करें।

2.10.3 सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यार्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षरण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड विभाग के लिये समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के सदस्य है। सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से महिलाओं के लियें, उतने पद आरक्षित रखें जावेंगे जितने राज्य सरकार समय–समय पर होमगार्ड विभाग के लिये आदेशित करें। वर्तमान नियमों के अनुसार कुल विज्ञापित पदों के 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लिये , 16 प्रतिशत अनुसूतिच जाति के लिये 14 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिको के लिये 10 प्रतिशत पदों का कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण होगा।

उदाहरणः– उदाहरण के लिये यदि किसी इकाई में 100 पद रिक्त विज्ञापित होते है और रोस्टर के अनुसार अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिये 14 प्रतिशत पद आरक्षित है तो क्रमशः 16, 20 और 14 कुल 50 पद इन वर्गो के लिये आरक्षित होगें और शेष 50 पद खुली प्रतियोमिता के होंगे।

अब शासन के आदेशानुसार महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण है, इसका आशय यह है कि अनुसूचित जाति के 16 पदों में से 30 प्रतिशत यानि कि 5 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 20 में से 6 पद और अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये 14 में से 4 पद आरक्षित होंगे और इस प्रकार महिलाओं के लिये शेष 15 पद सामान्य एवं खुली प्रतियोगिता के वर्ग में चिन्हित होंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी जाति वर्ग में योग्य महिला उपलब्ध नहीं है तो उसी जाति वर्ग के योग्य पुरूष के द्वारा वह रिक्ति पूर्ति की जावेगी।

शासन के आदेशानुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण के तहत आरक्षित है। इनकी गणना भी महिलाओं की भांति जाति वर्ग वार पृथक पृथक की जावेगी।

यहां यह ध्यान रखना होगा कि सामान्य/खुली प्रतियोगिता वर्ग के जो रिक्त स्थान है उन पर मेरिट के आधार पर किसी भी जाति वर्ग का उम्मीदवार स्थान पाने का हक रखता है और यदि इन पदों पर मैरिट के आधार पर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछडा वर्ग का उम्मीदवार चयनित हो जाता है तो उसकी गणना उसके आरक्षित वर्ग में नही की जावेगी।

2.10.4 उपरोक्तानुसार आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये ऐसे उम्मीदवार जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य है, की उसी क्रम में ही नियुक्ति पर विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में प्रकट हुए हों भले ही अन्य उम्मीदवारों से उनकी तुलनात्मक स्थिति भिन्न ही क्यों न हो।

2.10.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जिन्हें कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने का ध्यान रखते हुए नियुक्ति के योग्य घोषित किया है, की ही नियुक्ति की जा सकेगी।

2.11 सीधी भरती की पात्रता की शर्तेः

2.11.1 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहियें।

टिप्पणी:–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में मेवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बज जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

   (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे है।

   (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

   (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

2.11.2 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं है, सिफ् अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 जनवरी 2015 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए।

2.12 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमाः–

अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2015 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी–3–2–97–3 एक दिनांक 7 फरवरी 1997, ज्ञाप क्रमांक सी–3–12/2010/1/3 दिनांक 4 जून 2010, ज्ञाप क्रमांक सी–3–10/2012/3/एक दिनांक 30 अगस्त 2012, ज्ञाप क्रमांक सी–3–11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसर निर्धारित की गई हैः–

l-Ø-	vkond	Js.kh	vf/kdre vk; lhek
1.	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	40 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	45 वर्ष
3.	पुरूष	सभी वर्गों के शासकीय/निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी/नगर सैनिक	45 वर्ष
4.	महिला	सामान्य /अनारक्षित वर्ग	45 वर्ष
5.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला	सभी वर्गों की शासकीय/निगम/ मण्डल/	45 वर्ष

		स्वशासी संस्था के कर्मचारी / नगर सैनिक	
8.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति / अनु.जजा / अपिव) (विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा)	45 वर्ष

2.13 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndks izksRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwV %&

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(घ) बिन्दु 1.13 के (क) से (ग) तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले ,d आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.13 के (क) से (ग) तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली, छूट, बिन्दु 2.12 की तालिका में अंकित 1 से 8 तक मिलने वाली छूटों के अतिरिक्त होगी।

2-14 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndks dh vk;q lhek ds lEca/k esa vU; fooj.k %&

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3 / 12 / 2010 / 1 / 3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम / मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) 45 वर्ष रहेगी।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(ग) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(ड़) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :–शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
   (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
   (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

¼2½ ;fn dkbZ vkosnd iwoZ lsok esa fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa NwV dk ykHk ysus ds fy;s ,d ls vf/kd vk/kkj j[krk gS] rks mls vf/kdre ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ds fy;s fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa gh NwV dk ykHk izkIr gksxkA ;g NwV fu/kkZfjr vf/kdre vk;q&lhek ds vfrfjDr gksxhA lHkh izdkj dh NwV dks 'kkfey djrs gq, fdlh Hkh fLFkfr esa fdlh Hkh oxZ ds fy, vf/kdre vk;q&lhek 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksxhA

2-15 'kkjhfjd ;ksX;rk %&

2-15-1 अभ्यार्थी के शरीर में किसी भी प्रकार की अपंगता नही होना चाहियें।

2-15-2 अभ्यर्थी को चिकित्सीय तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये, अभ्यर्थी को आंख से सम्बन्धित कोई रोग नही होना चाहिये तथा आंख की तीव्रता बिना चश्में के 6/9 तथा दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहियें मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये। अभ्यर्थी को कोई गंभीर रोग नही होना चाहिये।

2-16 p;u dk vk/kkj %&

सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 पद हेतु

सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 पद पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। साक्षात्कार/प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नही किया जायेगा। लिखित परीक्षा में दो घंटे की समयावधि का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें

वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का तथा हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्नपत्र की योजना निम्नानुसार रहेगीः–

स.क्र.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान	25
2.	सामान्य हिन्दी	25
3.	प्रारंभिक गणित	10
4.	कम्प्यूटर ज्ञान	40
	योगः–	100

नोट : परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2-17 ikoh.;@irh{kk lph&

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांको तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दिए गए संवर्ग के प्राथमिकताक्रम विकल्प के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य तथा रिक्त पदों के दो गुना प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

2-18 ikjfLid ojh;rk&

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तथा रिक्त पदों के 10% के बराबर प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान हाने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2-19 lR;kiu@ijh{k.k d le; vko';d iek.k&i=k dk fooj.k&

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा :–

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,

(2) शैक्षणिक योग्यता (10+2) के प्रमाण पत्र,

(3) व्यावसायिक अर्हता – कम्प्यूटर परीक्षा अथवा मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन के प्रमाण पत्र,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,

(4) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र,

(5) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,

(6) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,

(7) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड,

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

(9) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

(10) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,

2-20 nLrkost@iek.k&i=k dk ijh{k.k o lR;kiu%&

लिखित परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची तथा पदों के 10% के बराबर प्रतीक्षा सूची के आधार पर होमगार्ड मुख्यालय की चयन समिति द्वारा चयन/नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण होमगार्ड विभाग द्वारा किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नही किया जाना है। विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी की नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय होमगार्ड विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय होमगार्ड विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा, अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर होमगार्ड विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो ।

2.21 pfj= lR;kiu%&

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। यदि प्रदेश शासन के अन्तर्गत शासकीय सेवा हेत चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन हेतु मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा परिपत्र आदेश क्रमांक एफ 17–74/2002/सी–1 दिनांक 05.06.2013 द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है, सामान्य प्रकरणे में इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के आयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नही दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्त तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नही होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

2-22 LokLF; ijh{k.k%&

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेंडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे होमगार्ड सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डो पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेंडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नही होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

2-23 vH;fFkZrk@p;u ds lac/k esa fujgZrk,a%&

(क) ऐसा अभ्यर्थी जिसनें पररूपण धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपण धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

(ग) ऐसा अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

(घ) कोई भी अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

(ड.) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(च) कोई भी अभ्यर्थी जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये, अयोग्य होगा।

(छ) यदि किसी अभ्यर्थी ने फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया हो, दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हा, अयोग्य होगा।

2-24 fu;qfDr dh 'krsZ %

चयनित अभ्यर्थियों पर मध्यप्रदेश शासन तथा होमगार्ड विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन तथा मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभागों के नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

2-25 ;k=k HkRrk dk Hkqxrku %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दस्तावेजो के परीक्षण के समय उपस्थित होने पर होमगार्ड के सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 पदों की परीक्षा हेतु होमगार्ड मुख्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। ऐसे अभ्यार्थी जो होमगार्ड में सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 तथा पुलिस में सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 की परीक्षा देगें उन्हें यात्रा भत्ता का भुगतान पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जावेगा।

2-26 U;k; {ks=@vf/kdkj %&

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

2-27 मध्यप्रदेश नगर सेना तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) भरती नियम 1996 के अन्तर्गत उपरोक्त नियमों का पूर्व अनुमोदन म0प्र0 शासन द्वारा प्राप्त किया गया है।

2-28 शीघ्रलेखक(स्टेनो) ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 (निम्न श्रेणी लिपिक) की सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में इसके पूर्व जारी सभी परिपत्र, राजपत्र आदेश तथा अन्य आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगे।

कृते डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड, मध्यप्रदेश

अध्याय – 3
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :–

3.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे। अभ्यर्थी से केवल एक ही आवेदन पत्र भराया जायेगा। जिसमें अलग–अलग पदों हेतु विकल्प रहेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता क्रम में आवेदित पद/पदों की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से दिया जाना होगा। आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प/प्राथमिकता अनुसार ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

पदनाम
iqfyl eq[;ky; foHkkx gsrq
उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक}
सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)}
gksexkMZ foHkkx gsrq
निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–3)
शीघ्रलेखक (स्टेनो) ग्रेड–3

3.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर पुलिस विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

3-3 vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(1) osclkbZV www.vyapam.nic.in vFkok www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(2) पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त पदों पर चयन एवं मध्यप्रदेश होमगार्ड, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–3) एवं शीघ्रलेखक (स्टेनो) ग्रेड–3 के रिक्त पदो पर चयन हेतु अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को निर्धारित शुल्क अर्थात अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 500/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों) के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 250/– का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रू. 70/– क्योस्क शुल्क देय होगा।

(3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

3-4 vkWuykbZu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkostksa dk fooj.k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(अ) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें।

(ब) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

(स) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

3-5 ,d ls vf/kd vkuykbu vkosnu&i= Hkjus lac/kh funs'k%&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा। विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

3-6 vkuykbu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lac/kh funs'k%&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(ii) फोटोग्राफ vkosnu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxzkQ ij f[kpokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA

(iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

3-7 vkuykbu vkosnu Hkjus ds lac/k esa funs'k %

3-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30.09.2014 से दिनांक 29.10.2014 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। vkosnd }kjk Hkjs tkus okys vkosnu i= esa jkT; ,oa ftys dk fooj.k ehuw ds ek/;e ls ikIr gksxkA ftlls Hkfo"; esa vko';drkuqlkj jkT; ,oa ftys dh vko';d tkudkjh ikIr dh tk ldsA igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;foax ykbZlsal] QksVks;qDr vdlphdh rFkk iklikVZ dk iko/kku j[kk x;k gS ;fn

vkosnd }kjk vU; igpku i= p;u fd;k tkrk gS rks og nLrkost dk u lkFk gS blds tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa iznku djuh gksxhA vkosnd dk vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA buds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

3-7-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :– (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

baVjusV ds ek/;e ls vkWuykbu vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %

3-7-2-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त पदों पर भर्ती एवं मध्यप्रदेश होमगार्ड, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–3) एवं शीघ्रलेखक (स्टेनो) ग्रेड–3 के रिक्त पदो हेतु चयन परीक्षा–2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funsZ'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

3-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

3-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

3-7-2-4 ØsfMV@MsfcV dkMZ ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&
आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

3-7-2-5 baVjusV cSafdax ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku %&
आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

3-7-3 ,e-ih- vkWuykbu fd;kLd ds ek/;e ls vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %&
एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म

भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

ukV%& ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3-8 fu/kkZfjr frfFk esa tek fd, x, vkWuykbu vkosnu i= esa la'kks/ku dh 0;oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

3-8-1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

3-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

3-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

3-9 vkWuykbu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

एम0पी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर

सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3-10 ijh{kk io'k&i= (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

io'k&i= ikIr djus dh ifØ;k&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3-11 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :–

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	भोपाल
2.	ग्वालियर
3.	इन्दौर
4.	जबलपुर
5.	सागर
6.	रीवा
7.	उज्जैन

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

3-12 ijh{kk 'kYd %&

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रू. 500/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी (मध्यप्रदेश के मूल निवासी) के लिये रु. 250/– निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/– अतिरिक्त देय होगा।

3-13 ijh{kk gky esa ys tkus gsrq vko';d lkexh %&

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

3.14 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator,Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.15 लिखित परीक्षा का विवरण :–

स.क्रं.	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	30.11.2014 (रविवार)	02 घंटे	प्रातः 10:00 बजे से 12.15 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

3.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

¼d½ परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

¼[k½ अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

¼x½ परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

¼?k½ परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

¼M-½ अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

¼p½ अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

¼N½ प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

¼t½ नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

¼>½ सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

¼´½ सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

¼V½ परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपाजायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

¼B½ परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

¼M½ परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा प्रक्रिया में अथवा परीक्षा के डाटा में किसी भी स्तर पर छेडछाड या किसी भी व्यक्ति से मिलकर परीक्षा की प्रक्रियाओं का उल्लघन करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त किये जाने का

प्रयास परिलक्षित होने पर अथवा अभ्यर्थियों का वह कृत्य जिससे परीक्षा की अनुल्लघंनियता (Sanctity) प्रभावित होती हो, परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

¼r½ परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरणो में संलिप्तता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

3.17 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3-18 =fVi.kZ i'u] mlds fujLrhdj.k ,oa cnys esa fn;k x;k vad ¼&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2- प्रश्न की संरचना गलत हो।
3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4- कोई भी विकल्प सही न हो।
5- यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{81 \times 100}{(100 - 2)} = 82.65 \text{ rounded off to } 83.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

3.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 05 एवं 06 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है । बिन्दु क्रमांक 3.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

3-20 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku ¼&

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय–1, 2, 3 से 4 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। पुलिस

विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

3-21 vad lwph %&

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3-22 e-iz- O;kolkf;d ijh{kk eaMy dk dk;Z iwoZ'k ijh{kk dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

3-23 U;kf;d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction)मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

———0———

अध्याय – 4
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

परीक्षा का स्तरः– बारहवी

भाग – 1 : मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान – 25 अंक

मध्यप्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियॉ, प्रमुख अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियॉ, प्रमुख सिंचाई योजनायें, पर्यटन (दुर्ग व किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, गुफायें, समाधि व मकबरे इत्यादि), मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व (राजनीतिक, खिलाड़ी, कलाकार प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, समाजसेवी इत्यादि)

भाग – 2 : सामान्य हिन्दी – 25 अंक

वर्तनी की सामान्य अशुद्वियॉ तथा शब्दों के शुद्व रूप, शब्दों के स्त्री लिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ अशुद्व वाक्यों के शुद्व रूप, विपरीतार्थक (विलोमार्थक) शब्द, समानार्थक या पर्यायावाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें एवं लोकोक्तियों के अर्थ, संधिव संधि विच्छेद, क्रिया से भाव वाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता इत्यादि।

भाग – 3 : प्रारंभिक गणित – 10 अंक

प्रारंभिक गणित – गुणा, भाग, दशमलव अंक, निम्न (फ्रेक्शन), प्रतिशत, मूलधन, ब्याज, लाभ–हानि, क्षेत्रफल, आयतन आदि के सम्मिलित प्रश्न।

भाग – 3 : कम्प्यूटर ज्ञान – 40 अंक

Operating System Windows 2003-2007, Windows Xp, Microsoft Office 2003-2007, Processor & Memort, Database Manngement Ststem, Computer Languages, Languages, Introduction to Internet & Internet Working

अध्याय–4

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :–

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र–नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर .... विकास खण्ड .... तहसील...........................जिला.................................संभाग.. जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक....... पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

<u>प्रारूप–2</u>

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:–
1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार।

अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...................................प्रकरण क्रमांक.................................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी... पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....वि.ख. ....तहसील.... ....जिला....................................... संभाग...जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचि चत जनजाति के रुप मं ` विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..... ....पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

<u>प्रारूप–3</u>

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप (स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक...................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...प्रकरण क्रमांक..

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी...पिता / पति का....... .... नाम ....निवास / ग्राम / नगर .... वि.ख..................तहसील..................जिला........ .... संभाग...मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.. जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।
श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम ....और / उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग....................................में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360 / 2 / 22 / 93 / स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26 / 93 / 1 / आप्र. / दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
जिलाध्यक्ष / अपर जिलाध्यक्ष / उप जिलाध्यक्ष / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..............................प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक...

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी...पिता / पति का नाम ....निवास / ग्राम / नगर ....वि.ख.. तहसील...जिला................................. संभाग..............................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो........................ जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं। श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम ....और / उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360 / 2 / 22 / 93 / स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26 / 93 / 1 / आप्र. / दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं। संबंधित राजस्व अधिकारी / तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

ik : i&5

(देखें नियम 3.18 एवं 3.19)

i'u&ifLrdk d i'uk@mRrjk d lc/k e vH;konu

¼ukV& ;g i=i= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd
e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

l0Ø0	i'u Øekd@ mRrj Øekd	=fV dk fooj.k	lk{; d :i e iLrr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर..

दिनांक .... आवेदक का नाम...

ik: i&6

(देखें नियम 3.18 एवं 3.19)

vkn'k mRrjks ij vkifRr gsrq vH;kosnu

¼ukV& ;g i=i= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd e.My dk;ky; e miyC/k djkus ij fopkj {ks= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उतर त्रुटिपूर्ण है :—

l-Ø-	mRrj Øekad	vkn'k dqath esa inf'kr mRrj	vH;kFkh ds vuqlkj mRrj	mRrj ds leFkZu esa iqLrd nLrkost dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर...................

दिनांक ....

lgefr izek.k&i=

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) {निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त पदों एवं मध्यप्रदेश होमगार्ड, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–3) एवं शीघ्रलेखक (स्टेनो) ग्रेड–3 के रिक्त पदो हेतु चयन परीक्षा–2014 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय–1, 2, 3 व 4 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण–पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

———

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :–...
पदनाम :–..
सील :–..